राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1692/2024

उषा शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा प्रतापगढ।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.04.2024
आदेश की दिनांक : 09.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थिया के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थिया वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–तृतीय, लेवल–प्रथम के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोमा प्रतापगढ में कार्यरत है। अपीलार्थिया को वर्तमान स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है। अपीलार्थिया शुगर और बीपी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थिया का पूर्व में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से रिढ की हड्डी एवं कमर में तकलीफ रहती है। अपीलार्थिया छोटी सादड़ी की निवासी है, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान से 60 किमी. दूर है। बीमारियों के कारण उसे सफर तय करने में काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अपीलार्थिया के 80 वर्षीय सासू मां है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी अपीलार्थिया पर ही है। इन सब कारणों से अपीलार्थिया को वर्तमान स्थान पर पदस्थापन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपीलार्थिया ने छोटी सादड़ी में अपना पदस्थापन किये जाने हेतु अभ्यावेदन दिनांक 16.05.2023 एवं 13.03.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को दिया था, परंतु उक्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. अपीलार्थी ने उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)